संख्या-1/2/2001-का-प्रसको-2007

प्रेषक,

प्रशान्त कुमार मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ लखनऊ : दिनांक :22 अक्टूबर, 2007

विषयः-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 'सूचना का अधिकार' विषय को सम्मिलित किया जाना।

महोदय,

समसंख्यक शासनादेश दिनांक 08.10.2001, दिनांक 14.11.2002, दिनांक 04.7.2003 एवं दिनांक 23.4.2007 के क्रम में आपको यह अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सभी विभागों के आधारभूत एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 'सूचना के अधिकार' विषय को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उपर्युक्त के संबंध में अनुरोध है कि अपने विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त प्रशिक्षण संस्थानों के निदेशकों/ प्रधानाचार्यों को 'सूचना का अधिकार' विषय से संबंधित पाठ्यक्रम को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का समस्त स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रशान्त कुमार मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या-1/2/2001(1) का-प्रसको-2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक/निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ।
2. महानिदेशक,दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब,लखनऊ।
3. निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक/प्रधानाचार्य, समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(जे.एस.दीपक)
प्रमुख सचिव।

संख्या – 35 भा0प्र0प0/43-2-2007

17014/1/2007-Trg(RTI)

TRG

Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
(Training Division)

Block-IV, 3rd Floor, Old JNU Campus,
New Delhi-110067
Dated: 13.07.2007

To

- Secretaries to all Ministries/ Departments, Government of India,
- Chief Secretaries to all State Governments,
- Heads of all Central Training Institutes
- Heads of all State Training Institutes.

Subject:- **Recommendation of the First Report of the 2nd Administrative Reforms Commission on Right to Information- Action Taken Report.**

Sir/Madam,

The recommendation of the 2nd Administrative Reforms Commission on Right to Information pertaining to training activities has been considered by this Department and accordingly following has been decided:-

Recommendation:-

(i) The Commission recommended that training programmes should not be confined to merely PIOs and APIOs. All government functionaries should be imparted training for atleast one day on Right to Information within a year. These training programmes have to be organized in a decentralized manner in every block. A cascading model could be adopted with a batch of master trainers in each district.

been decided that funds permitting, various Ministries/Departments/ Governments etc. may conduct such training programmes.

(ii)

all general or specialized training programmes of more than 3 days duration, a half-day module on Right to Information should be compulsory.

(iii)

It has been decided that in all training programmes for one week or more, a one-hour module on Right to Information should be included, wherever possible.

appropriate action may be taken as indicated above.

Yours faithfully,

(Ajay Sawhney)
Joint Secretary (Trg)